

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 04/2024

GCMS No. 2024/12

अपीलांट—

बनाम

उत्तरदातागण—

1. गोकुलराम पुत्र मगनाराम  
जाति जाट निवासी परेऊ  
तहसील गिड़ा जिला  
बालोतरा

1. तहसीलदार गिड़ा जिला  
बालोतरा
2. केसीदेवी पत्नि जवाराराम
3. पुरोदेवी पत्नि लाधाराम
4. मांगीलाल पुत्र जवाराराम  
(नाबालिग जरिये कुदरती  
वलीया माता केशी देवी)
5. मोटाराम पुत्र लाधाराम
6. रेखाराम पुत्र लाधाराम
7. रामस्वरूप पुत्र लाधाराम
8. ईशराराम पुत्र लाधाराम  
जातियान जाट निवासीयान  
परेऊ तहसील गिड़ा जिला  
बालोतरा

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/2021/806 दिनांक 15.12.2021 तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

श्री नरपत पुनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।  
उत्तरदातागण की अनु.उपस्थित।



निर्णय

दिनांक : 22.04.2025

अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/806 दिनांक 15.12.2021 तहसीलदार गिड़ा पेश की गई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 02 से 08 के अधिवक्तागण अनुपस्थित। अपील इस प्रकार है कि उत्तरदातागण संख्या 02 से 08 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नं. 832/347 रकबा 11.6549 हेक्टेयर विस्वा,मौजा पुनियों की बेरी, पटवार हल्का परेऊ तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा के खसरा नं. 832/347 रकबा 11.6549 हेक्टेयर विस्वा में भूमि अवस्थित है। अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 02 से 08 का अपने-अपने हक हिस्सेदार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 02 से 08 की संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/806 दिनांक 15.12.2021 तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित हुआ और आदेश अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड से अमलदरामद हुआ। तहसीलदार गिड़ा द्वारा बंटवाड़ा उक्त बंटवाड़ा से उसके कब्जा काश्त के अनुसार घर टांको कब्जा काश्त को बिना प्रभावित करते सही रंग भरवा कर कागजात उत्तरदाता 02 से 08 ने अपनी सुविधानुसार बंटवाड़ा करवा दिया है। उक्त भूमि अपीलांटगण व उत्तरदातागण संख्या 02 से 08 का अपने-अपने हक हिस्सेदार माफिक बाहमी तौर से किये गये बंटवाड़ा अनुसार काबिज हैं।

अतः अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत

किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 02 से 08 की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि उत्तरदाता संख्या 02 से 08 की संयुक्त खातेदारी नं. खसरा नं. 832/347 रकबा 11.6549 हेक्टेयर विस्वा मौजा पुनियों की बेरी, पटवार हल्का परेऊ तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण की संयुक्त भूमि अवस्थित है। सहमती बंटवाड़ा के आवेदन पर समस्त पक्षकारान का हस्ताक्षर करते हुए अपीलांटगण तथा रेस्पोंडेंटगण के आपसी सहमती द्वारा ही उक्त खसरा का आलोच्य बंटवाड़ा करवाया गया है। समस्त पक्षकारान बंटवाड़ा के अनुसार ही अपने कब्जे काशत पर मौके पर अवस्थित हैं। उक्त खसरान का विधिवत रूप आपसी सहमति से वर्ष 2021 को बंटवाड़ा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर, संयुक्त शामलाती कृषि भूमि का कब्जे काशत एवं हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अलमदरामद एवं नक्शे में तरमीम किया गया है। उक्त वादग्रस्त शामलाती भूमि का विभाजन करते समय समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में स्वतंत्र सहमति प्राप्त कर उक्त विभाजन किया गया है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा का आवेदन समस्त पक्षकारान ने स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने एवं प्रस्तुत आवेदन पर दर्शाई गई बंटवाड़ा को स्वतंत्र सहमति दिए जाने पर दिनांक 15.12.2021 को विभाजन को राजस्व अभिलेख व नक्शा में तरमीम करने हेतु आदेश किया गया था, किसी भी आराजी का एक बार आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो उसका पुनः बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा पेश की गई अपील झुठा व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारिज योग्य हैं।

अतः हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा के समक्ष सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया है तथा तहसीलदार गिड़ा द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्वीक किया गया है। एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन, आधारहीन तथ्यों पर आधारित नहीं होने के साथ साथ मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/806 दिनांक 15.12.2021 मौजा पुनियों की बेरी, पटवार हल्का परेऊ तहसील गिड़ा, जिला बालोतरा तहसीलदार गिड़ा को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*amg*  
(डॉ. गुंजन सोनी)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
बालोतरा